

प्रपत्र की सार्वजनिक घोषणा	
[भारतीय दिवालिया और धन शोधन अक्षमता (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12] झारखण्ड मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के हिस्सेदारों के ध्यानार्थ	
क्र.सं.	विवरण
	व्योरा
1	निगमित कर्जदार का नाम
2	निगमित कर्जदार के गठन की तिथि
3	प्राधिकारी जिनके अधीन निगमित कर्जदार का गठन/पंजीयन किया गया है
4	निगमित कर्जदार का कॉरपोरेट आईडेंटिटी नम्बर/लिमिटेड लॉगब्लिट्टी आईडेंटिफिकेशन नम्बर
5	निगमित कर्जदार के पंजीकृत कार्यालय तथा मुख्य कार्यालय (यदि कोई है) का पता
6	दिवालिया समाधान प्रक्रिया बंद होने की तारीख
7	निगमित कर्जदार के परिसमापन आरम्भ होने की तारीख
8	परिसमापक के रूप में कार्यरत दिवालिया पेशेवर का नाम एवं पंजीयन संख्या
9	बोर्ड के साथ पंजीकृत परिसमापक का पता एवं ईमेल
10	परिसमापक के साथ पत्राचार हेतु प्रयोग किया जाने वाला पता एवं ईमेल
11	दावा जमा करने अंतिम तिथि
<p>एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, कोलकाता पीठ ने दिनांक 03/04/2024 को झारखण्ड मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के हिस्सेदारों को एतद्वारा परिसमापक के पास मद 10 में उल्लिखित पते पर परिसमापक के समक्ष दिनांक 03/05/2024 को अथवा उससे पहले अपने दावों के साक्ष्य जमा करने को कहा जाता है।</p> <p>वित्तीय ऋणदाताओं को अपने दावों के साक्ष्य सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा करना होगा। अन्य सभी ऋणदातागण अपने दावों के साक्ष्य व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा कर सकते हैं।</p> <p>दावों के गलत अथवा झूठे साक्ष्य जमा करने पर जुर्माना लगाया जाएगा हस्ता/-</p> <p>पंकज कुमार टिबरेवाल IBBI/PA-001/IP-P01577/2018-19/12410</p> <p>तारीख एवं स्थान: 08/04/2024 कोलकाता</p> <p>एएफए: AA1/12410/02/201124/106364 बैधता: 20.11.2024 तक</p>	